



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125017

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-19278/2026

राजेश कुमार

....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

.....विपक्ष

आवेदक (आवेदकों) के अधिवक्ता : अरविंद प्रबोध दुबे

विपक्षकार (विपक्षकारों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या -4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद प्रबोध दुबे और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रामकुमार वर्मा की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 285/2025, धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339, 340(2) बीएनएस, पुलिस थाना -कंधापुर, जिला-आजमगढ़ में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस ने वैध चालान के बिना स्क्रेप ले जा रहे दो ट्रकों को जब्त किया, जिसका उद्देश्य जीएसटी से बचना था। बाद में, जांच के दौरान, पुलिस द्वारा जब्त किए गए ट्रकों में से एक के चालक ने आवेदक का नाम उस व्यक्ति के रूप में लिया जो उसके संपर्क में था और उसे स्क्रेप के परिवहन के संबंध में मार्गदर्शन कर रहा था। आगे यह भी बताया गया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि मां अम्बे स्क्रेप मार्ट के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मालिक मधुसूदन जायसवाल ने ही स्क्रेप के दो जाली चालान तैयार किए थे, जो कथित तौर पर दो गैर-मौजूद फर्मों के नाम पर जारी किए गए थे, ताकि स्क्रेप को पंजाब ले जाया जा सके। आवेदक को केवल मां अम्बे स्क्रेप मार्ट में क्लर्क होने के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि कथित कूटरचना, बीजक तैयार करने या किसी फर्म के रजिस्ट्रीकरण में उसकी कोई सक्रिय संलिप्तता नहीं है।

4. आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी बताया गया कि अन्वेषण अभी लंबित है और आवेदक जांच में सहयोग कर रहा है। आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और 11.03.2026 से कारागार में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की सह-अपराधिता, कारागारों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी 3038** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **राजेश कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



- i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण / जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, आजमगढ़ के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।**

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3 जून, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।